



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112021-231063
CG-DL-E-13112021-231063

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4289]
No. 4289]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 11, 2021/कार्तिक 20, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 11, 2021/KARTIKA 20, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2021

का.आ. 4654(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, सदर देवरिया (NH727AA) के कि.मी 24.1 से 38.2 उत्तर प्रदेश राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH727AA पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	सब (डिविजनल ऑफिसर (रेवेन्यू) और लैंड एक्विशन ऑफिसर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH727AA के कि.मी. 24.1 से 38.2 तक	उत्तर प्रदेश	कुशीनगर	तमकुही राज	1	तिवारी पट्टी
						2	पिरोजहाँ
						3	जबही दयाल
						4	घघवा जगदीशपुर
						5	जंगली पट्टी
						6	परसा एहतमाली
						7	परसा मुस्तकिल
						8	पिपरा घाट
						9	राजपुर बगहा
						10	तिकलिया
						11	तिकुलिया साहबगंज
						12	सेवरही
						13	पकाडियार पूरब पट्टी
						14	रकबा दुलाम पट्टी

[फा. सं. MO/2021/60148]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2021

S.O. 4654(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of Km. 24.1 to 38.2 of SADAR DEORIA (NH727AA) in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH727AA in the State of UTTAR PRADESH.**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Sub Divisional officer (Revenue) & Land Acquisition officer	24.1 KM To 38.2 KM	UTTAR PRADESH	Kushinagar	Tamkuhi Raj	1	Tiwari Patti
						2	Pirojaha
						3	Jabhi Dayal
						4	Ghaghwa Jagdishpur
						5	Jaugli Patti
						6	Parsa Ahatmali
						7	Parsa Mustkil
						8	Pipra Ghat
						9	Rajpur Bagha
						10	Tikalia
						11	Turkoliya Sahabgang
						12	Sebrahi
						13	Pardiyar Purab Patti
						14	Rakba Dulan Patti

[F. No. MO/2021/60148]

RAJESH GUPTA, Director